

विभिन्न लायसेंस के लिए निर्धारित लायसेंस फीस का विवरण

क्र.	विवरण	फीस का नाम	वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस (नवीन लायसेंस हेतु)	वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस (नवीनीकरण हेतु)
1.	2.	3.	4.	5.
1	एफ.एल.-1(घघ) विदेशी मदिरा फुटकर विक्रय अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 10,000	रुपये 10,000
2	एफ.एल.-1(घघ-कम्पोजिट) विदेशी मदिरा दुकान से विदेशी व देशी मदिरा फुटकर विक्रय अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 20,000	रुपये 20,000
3	सी.एस.-2(घघ) देशी मदिरा फुटकर विक्रय अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 10,000	रुपये 10,000
4	सी.एस.-2(घघ-कम्पोजिट) देशी मदिरा दुकान से देशी व विदेशी मदिरा फुटकर विक्रय अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 20,000	रुपये 20,000
5	डी.-1 आसवनी अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 20,00,000	रुपये 20,00,000
6	सी.एस.1-ख देशी मदिरा विनिर्माण अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 3,00,000	रुपये 3,00,000
7	सी.एस.1 सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा प्रदाय अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 2,25,000	रुपये 2,25,000
8	सी.एस.-1 ग (देशी मदिरा थोक भण्डारण एवं वितरण का नियंत्रण अनुज्ञप्ति)	लायसेंस फीस	रुपये 1,00,000	रुपये 1,00,000
9	विदेशी मदिरा एफ.एल.3 होटल बार अनुज्ञप्ति (टीप:- नगर की सीमा से 10 कि. मी. परिधि में स्थित होटल/ रेस्टोरेन्ट के लिए अनुज्ञप्ति फीस वही होगी, जो उस नगर के लिए लागू हो.)	लायसेंस फीस	रुपये 12,60,000	रुपये 12,60,000
		जनसंख्या 1.00 लाख तक		
		जनसंख्या 1.00 लाख से 3.00 लाख तक	रुपये 18,00,000	रुपये 18,00,000
		जनसंख्या 3.00 लाख से अधिक	रुपये 24,00,000	रुपये 24,00,000
10	विदेशी मदिरा एफ.एल.3 क अनुज्ञप्ति (शॉपिंग मॉल रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) (टीप:- नगर की सीमा से 10 कि. मी. परिधि के शॉपिंग माल में स्थित एफ.एल.3क लायसेंस की लायसेंस फीस भी उपरोक्तानुसार होगी)	लायसेंस फीस	रुपये 18,00,000	रुपये 18,00,000
		जनसंख्या 1.00 लाख तक		
		जनसंख्या 1.00 लाख से 3.00 लाख तक	रुपये 24,00,000	रुपये 24,00,000
		जनसंख्या 3.00 लाख से अधिक	रुपये 31,20,000	रुपये 31,20,000
11	विदेशी मदिरा एफ.एल.4 असैनिक विनोद गृह अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 1,50,000	रुपये 1,50,000
12	विदेशी मदिरा एफ.एल.4क व्यावसायिक क्लब अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 8,50,000	रुपये 8,50,000
		जनसंख्या 1.00 लाख तक		
		जनसंख्या 1.00 लाख से 3.00 लाख तक	रुपये 12,25,000	रुपये 12,25,000
		जनसंख्या 3.00 लाख से दस लाख तक	रुपये 16,00,000	रुपये 16,00,000
		जनसंख्या 10.00 लाख से अधिक	रुपये 18,00,000	रुपये 18,00,000

13	विदेशी मदिरा एफ.एल.5 प्रासंगिक अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 20,000 प्रतिदिन	
14	विदेशी मदिरा एफ.एल.5क प्रासंगिक अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 10,000 प्रतिदिन	
15	एफ.एल.9 बोतल भराई अनुज्ञप्ति	लायसेंस फीस	रुपये 10,00,000	रुपये 10,00,000
16	एफ.एल.9क विशेष बोतल भराई अनुज्ञप्ति (प्रति फ्रैन्चाईसी के	लायसेंस फीस	रुपये 5,00,000	रुपये 5,00,000
17	यवासवनी फार्म ख-1 लायसेंस	लायसेंस फीस	रुपये 5,00,000	रुपये 5,00,000
18	वाईनरी डब्ल्यू-3 लायसेंस	लायसेंस फीस	रुपये 1,00,000	रुपये 1,00,000
19	एफ.एल.10 (प्रदायकर्ता का वितरण-नियंत्रण अनुज्ञप्ति) (प्रति अनुज्ञप्ति)	लायसेंस फीस	रुपये 5,00,000	रुपये 5,00,000
20	एफ.एल.10क (राज्य के बाहर निर्मित विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) एवं एफ.एल.9(क) अनुज्ञप्ति के अधीन निर्मित विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के भण्डारण एवं प्रदाय हेतु गोदाम अनुज्ञप्ति) (प्रति अनुज्ञप्ति)	लायसेंस फीस	रुपये 50,00,000	रुपये 50,00,000
21	एफ.एल.10ख (राज्य में एफ.एल.9 अनुज्ञप्ति के अधीन बाटलिंग की गई विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के भण्डारण एवं प्रदाय हेतु गोदाम अनुज्ञप्ति) (प्रति अनुज्ञप्ति)	लायसेंस फीस ऐसे एफ.एल.10(ख) अनुज्ञप्ति जिनकी वर्ष 2020-21 में सी.एस.बी. सी.एल. के समस्त गोदामों में भण्डारित/आमद कुल मदिरा की राशि (लैडिंग प्राईस सी.व्ही.डी. सहित) रुपये 15 करोड़ से अधिक न हो।	रुपये 5,00,000	रुपये 5,00,000
		ऐसे एफ.एल.10(ख) अनुज्ञप्ति जिनकी वर्ष 2020-21 में सी.एस.बी. सी.एल. के समस्त गोदामों में भण्डारित/आमद कुल मदिरा की राशि (लैडिंग प्राईस सी.व्ही.डी. सहित) रुपये 15 करोड़ से अधिक हो।	रुपये 10,00,000	रुपये 10,00,000
22	लेबल रजिस्ट्रेशन फीस	रजिस्ट्रेशन फीस	रुपये 3,00,000 प्रति लेबल	
23	विदेशी मदिरा बाटलिंग इकाईयों को अन्य राज्य से ई.एन.ए./एल्कोहल युक्त अन्य पदार्थों के आयात	आयात शुल्क	रु. 1.00 प्रति बल्क लीटर	
24	विदेशी मदिरा बाटलिंग इकाईयों को राज्य स्थित आसवनी से ई.एन.ए./एल्कोहल युक्त अन्य पदार्थों के परिवहन	परिवहन शुल्क	रु. 1500.00 प्रति अनुज्ञा पत्र	

25	राज्य में स्थित आसवनी से ई.एन. ए./एल्कोहल युक्त अन्य पदार्थों के निर्यात	निर्यात शुल्क	रु. 3.00 प्रति बल्क लीटर	
26	राज्य में स्थित आसवनी द्वारा अन्य राज्य से आर.एस. के आयात	आयात शुल्क	रु. 1.00 प्रति बल्क लीटर	
27	राज्य में स्थित आसवनी से आर. एस. के परिवहन	परिवहन शुल्क	रु. 1500.00 प्रति अनुज्ञा पत्र	
28	राज्य में स्थित आसवनी/विदेशी मदिरा बाटलिंग इकाईयों/यवासवनियों/वाईनरी इकाई से निर्यात	निर्यात शुल्क (स्प्रिट)	रु. 1.00 प्रति प्रूफ लीटर	
		निर्यात शुल्क (माल्ट)	रु. 0.50 प्रति बल्क लीटर	
29	एफ.एल. 9/9क से संबंधित परिवहन पर	परिवहन शुल्क	रु. 1500.00 प्रति अनुज्ञा पत्र	
30	एफ.एल. 3/3क/4/4क/5/5क से संबंधित परिवहन पर	परिवहन शुल्क	रु. 500.00 प्रति अनुज्ञा पत्र	